



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1474) पटना, सोमवार, 8 सितम्बर 2025

सं० 12/प0क0-09-01/2025-687(12)

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

23 मई 2025

विषय:- राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन के संबंध में।

कैंसर असाध्य रोग है, जिसका निदान प्रारंभिक चरणों में नहीं हो पाने के कारण अधिकांश मरीज काल कलवित हो जाते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी एवं अनुवांशिकीय कारणों से कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICMR) के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष एक लाख चालीस हजार कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

2. इस क्रम में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 15 एकड़ भूमि पर परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार के सहयोग से टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई के तत्वाधान में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। उक्त केन्द्र के विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त 30 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और वहाँ 100 बेड के पैलियेटिव केयर सेंटर (Palliative Care Centre) के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही गंगवारा, दरभंगा में सिर और गर्दन के कैंसर की विशिष्ट चिकित्सा हेतु 100 बेड के अस्पताल की स्थापना की गई है। इसके संचालन का दायित्व होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र को सौंपा गया है। राज्य के सभी जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम तथा छः चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में केमोथेरेपी की व्यवस्था का कार्य भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से ही किया जा रहा है। केमोथेरेपी के लिए आवश्यक दवाओं की अधिप्राप्ति का दायित्व भी इसी संस्थान को दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को गर्भाशय के मुँह के कैंसर (Cervical Cancer) से प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी टीकाकरण की योजना भी चलाई जा रही है।

3. उपर्युक्त सभी कार्यक्रम के समुचित प्रबंधन, समन्वय एवं अनुश्रवण तथा राज्य में कैंसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण सहित कैंसर की रोकथाम तथा स्क्रीनिंग के फलस्वरूप निरंतर चिन्हित हो रहे मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण उनका पंजीकरण एवं उनकी समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. स्वास्थ्य विभाग के अधीन निम्न प्रकार बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी का गठन किया जाता है:-

- (i) इसका मुख्यालय स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना में होगा, जिसकी शाखाएं आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य स्थानों पर खोली जा सकेंगी।
- (ii) होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (HBCHRC), मुजफ्फरपुर के निदेशक इस सोसाईटी के शासी निकाय के पदेन सदस्य होंगे और सोसाईटी को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
- (iii) सोसाईटी का एक शासी निकाय होगा जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार होंगे।
- (iv) शासी निकाय में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्य होंगे –
- | | |
|---|-------------|
| (क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग | —उपाध्यक्ष |
| (ख) सचिव, स्वास्थ्य विभाग | |
| (अथवा, जो विशेष सचिव से अन्यून स्तर का हो) | —सदस्य |
| (ग) वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि | |
| (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो)–सदस्य | |
| (घ) कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार | —सदस्य |
| (ङ) प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत | |
| संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), पटना–सदस्य | |
| (च) परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाईटी | —सदस्य |
| (छ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य स्वास्थ्य | |
| सुरक्षा समिति | —सदस्य |
| (ज) कार्यपालक निदेशक, बिहार आयुष समिति | —सदस्य |
| (झ) निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च | |
| सेन्टर, मुजफ्फरपुर | —सदस्य |
| (ञ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कैंसर केयर एण्ड | |
| रिसर्च सोसाईटी | —सदस्य सचिव |
- (v) इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा कैंसर चिकित्सा क्षेत्र के 2 (दो) विशेषज्ञ, सदस्य के रूप में 3 (तीन) वर्ष के लिए मनोनीत किये जायेंगे। इनका पुनःमनोनयन किया जा सकेगा।
- (vi) शासी निकाय की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे परन्तु मत बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय बाध्यकारी होगा।
- (vii) शासी निकाय की बैठक कम से कम प्रत्येक छः माह पर होगी।
- (viii) सोसाईटी का एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (ix) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग के लिए उनकी अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी समिति गठित की जायेगी, जिसके स्वरूप का निर्धारण सोसाईटी के बायलॉज द्वारा किया जायेगा।
- (x) सोसाईटी के गठन के लिए सरकार द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन्स ऑफ बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी अनुमोदित किया गया है तथा सोसाईटी का गठन एवं संचालन की कार्यवाही तदनुरूप की जायेगी।
- (xi) सोसाईटी का निबंधन सोसाईटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत कराया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—16.05.2025 के मद सं0—31 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जन कार्यालयों एवं जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालयों को दी जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू शरण,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1474-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>